संख्या- ए. 20011/40/2019- हिन्दी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)
खंड-9, कैं.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3
दिनांक- 26 अगस्त, 2019

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2019-20

उपरोक्त विषय पर उप महानिरीक्षक (वि.पु. प्रभाग), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से प्राप्त दिनांक 31 जुलाई 2019 के पत्र संख्या 37/3/2019-हिंदी में निहित सूचनाओं को प्रचारित प्रसारित करने का निदेश हुआ है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में उक्त पत्र की प्रति निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जा रही है।

3. अनुरोध है कि उपरोक्त विषय पर पुरस्कार योजना के बारे में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा उक्त पत्र के साथ संलग्न विस्तृत जानकारी में दिए गए मापदंडों के अनुसार इस योजना में भाग लेने हेतु पात्र प्रविष्टियां दिनांक 15 सितम्बर 2019 तक इस अनुभाग में अग्रेषित करने का कष्ट करें ताकि समयानुसार अगली आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

(डॉ. आर. के. सिंह) 26.08.2019
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि.

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव : सादर सूचनार्थ ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय)/अपर निदेशक (प्रचालन) के निजी सचिव : सादर सूचनार्थ
3. निदेशालय के सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक
4. सभी अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी, स.नि.पु.बे.
5. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली
6. सहायक निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली
7. सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) - विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/केन्द्र अधीक्षक:- विभाग के वेब साइट के माध्यम से सूचनार्थ।
9. कार्यालय प्रति /नोटिस बोर्ड

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय)
पुलिस से संबंधित हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए
पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा न्यायालयिक विज्ञान, कारागार, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण, अंगुलिछाप, अपराध शाखा तथा पुलिस से संबंधित अन्य विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट मूल पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए सृजनशील लेखकों और अनुवादकों को उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है।

2. इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं-

भाग-1 पुलिस से संबंधित विषयों पर हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

(1) मूल पुस्तकें - **30,000/-30,000/-** रुपये तक के पांच पुरस्कार। इन पांच पुरस्कारों में से एक पुरस्कार महिला लेखक के लिए आरक्षित है। बशर्ते उनकी रचनाएं उपलब्ध हों।

(2) अनूदित हिन्दी पुस्तकें **14,000/-,14,000/-** रुपये तक के दो पुरस्कार। (एक महिला लेखकों के लिए आरक्षित है बशर्ते कि उनकी रचना प्राप्त हुई हो।

भाग-2 - ब्यूरो, पुलिस से संबंधित किसी विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिए प्रतिवर्ष **40,000/-** रुपये तक के दो पुरस्कार प्रदान करता है जिसके लिए लेखक को इस विषय पर क्या-क्या सामग्री शामिल करनी है, का उल्लेख अपनी रूपरेखा के द्वारा करना होगा। इसके लिए इस वर्ष विषय है- **"साइबर अपराध की चुनौतियां एवं पुलिस बलों की तैयारी।"**

इसी भाग के अंतर्गत एक पुरस्कार 40,000/- रु. का (केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है) के लिए **"पुलिस एवं सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एवं चुनौतियाँ"** विषय पर रूपरेखा आमंत्रित की जा रही है-

(1) इस पुरस्कार योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

(2) योजना में प्रथम भाग में वे सभी पुस्तकें शामिल की जाएंगी जो 31-12-2018 तक प्रकाशित हुई हैं।

(3) भाग-1 के लिए पांडुलिपियां भी प्रविष्टि के रूप में भेजी जा सकती हैं, परन्तु यदि विचार करने के बाद इन्हें पुरस्कार के लिए अनुमोदित किया गया तो पुरस्कार राशि केवल पांडुलिपि के प्रकाशन के बाद ही दी जाएगी। प्रकाशन करवाने की व्यवस्था स्वयं लेखक/अनुवादक को करनी होगी। भाग-2 के अन्तर्गत निर्धारित विषय पर लिखित व पुरस्कृत पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय मूल्यांकन समिति स्वयं करेगी।

(4) पुस्तकों/पांडुलिपियों की तीन-तीन प्रतियाँ निर्धारित संलग्न प्रपत्र के साथ इस ब्यूरो को भेजी जाएंगी। वे पुस्तकें/पांडुलिपियाँ वापिस नहीं की जाती हैं।

(5) पुस्तक लगभग 150 पृष्ठों में होनी चाहिए।

(6) योजना के भाग-2 के लिए आवश्यक है कि लेखक उपर्युक्त विषय पर **विस्तृत रूपरेखा और अपने बायोडाटा की तीन-तीन प्रतियां** भेजें।

(7) इस योजना में वे पुस्तकें शामिल नहीं की जाएंगी जिन पर पहले ही भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई पुरस्कार प्रदान किया जा चुका हो अथवा इसके लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी हो।

(8) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें/रूपरेखाओं का मूल्यांकन एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम और बाध्य होगा। यदि समिति निर्णय लेती है कि कोई पुस्तक अपेक्षित स्तर की नहीं है तो उसे अधिकार है कि वह कोई भी पुरस्कार घोषित न करे अथवा पुस्तक के स्तर को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की राशि कम कर दे।

(9) किसी भी लेखक को, जिसने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किया है, वह आगामी **तीन** वर्ष के लिए पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) भेजने की अंतिम तारीख-

उपर्युक्त संदर्भ में पुस्तक अथवा पांडुलिपि अथवा रूपरेखाएं ब्यूरो के कार्यालय में **30.09.2019** तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

(11) कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें-

संपादक हिन्दी,
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
राष्ट्रीय राजमार्ग-8
महिपालपुर, नई दिल्ली- 110037
मो. 9013074058
ई-मेल: satishdabral@bprd.nic.in

(यह विज्ञापन वर्ष 2019-20 के लिए है)

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2019-20

प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम व विषय .....

2. पुस्तक का संस्करण व वर्ष .....

3. लेखक/अनुवादक का नाम और पूरा पता .....

.....

टेलीफोन/मोबाईल नं0 एवं ई-मेल पता .....

4. प्रकाशक का नाम और पता .....

5. रायल्टी पाने वाली संस्था अथवा व्यक्ति का नाम व पूरा पता.....

.....

6. (क) क्या यह रचना मूल अथवा अनूदित है.....

(ख) क्या अनूदित कृति है तो मूल पुस्तक और उसके लेखक और प्रकाशक का पूरा पता.....

7. प्रमाणित किया जाता है कि यह अनूदित कृति है तथा इसके लेखक और प्रकाशक से हिंदी अनुवाद तथा प्रकाशित करने की अनुमति ले ली गई है।

8. प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तक की मूलकृति, अनुवाद अथवा पांडुलिपि पर भारत, किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा परिचालित कोई पुरस्कार अथवा किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर (लेखक/अनुवादक)